

राजस्व घाटा अनुदान

प्रलिस के लयः

राजस्व घाटा अनुदान, सहायता अनुदान, वतित आयुग, भारत की संचति नधि, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 275

मेन्स के लयः

केंद्र-राज्य संबंघ, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप

चरचा में क्युँ?

हाल ही में वतित मंत्रालय ने 14 राज्युँ कु 7,183 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की मासकि कसित जारी की है।

वचिलन बाद राजस्व घाटा (PDRD):

परचयः

- केंद्र सरकार, संवधिान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्युँ कु **वचिलन बाद राजस्व घाटा अनुदान** प्रदान करती है।
 - अनुच्छेद 275 संसद कु इस बात का अधकिार प्रदान करता है कविह ऐसे राज्युँ कु उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है, जनिहें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है।
- अनुदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष भारत की **संचति नधि** से कयिा जाता है और वभिनिन राज्युँ के लयि अलग-अलग राशि नरिधारति की जा सकती है।
 - ये अनुदान पूंजी और आवरती राशि के रूप में आवश्यक हो सकते हैं।

उद्देश्यः

- इन अनुदानुँ का उद्देश्य राज्युँ कु राज्य स्तरीय कल्याणकारी युोजनाओँ की लागत कु पूरा करने या अनुसूचति कषेत्रुँ के प्रशासन के स्तर में सुधार करने में सकषम बनाना है।
- अनुदानुँ का मुख्य उद्देश्य वतिलीय संसाधनुँ में अंतर-राज्यीय असमानताओँ कु दूर करना और एक समान राषट्रीय स्तर पर राज्य सरकारुँ की कल्याणकारी युोजनाओँ के रखरखाव एवं वसितार का समन्वय करना है।

अनुदान हेतु सफिारशिः

- राज्युँ के हस्तांतरण के बाद (केंद्र के वभिजय कर भाग) राजस्व खातुँ में अंतर कु पूरा करने के लयि मासकि कशितुँ **वतित आयुग की सफिारशिँ** के अनुसार अनुदान जारी कयि जाते हैं।
- 15वें वतित आयुग (FC) ने वतित वर्ष 2026 में समाप्त होने वाली पाँच साल की अवधि में लगभग **3 ट्रिलियन रुपए की राशि के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सफिारशि की है।**
 - इस अनुदान कु प्राप्त करने के लयि राज्युँ की **पात्रता और अनुदान की मात्रा का नरिधारण आयुग द्वारा राज्य के राजस्व एवं व्यय के आकलन** के बीच के अंतर के आधार पर कयिा गया था।
 - वर्ष 2022-23 के दौरान 15वें वतित आयुग द्वारा PDRD अनुदान के लयि जनि राज्युँ की अनुशंसा की गई है, वे हैं **आंध्र प्रदेश, असम, हमाचल प्रदेश, केरल, मणपुरि, मेघालय, मज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सकिकिमि, त्रपुरा, उत्तराखंड और पश्चमि बंगाल।**

केंद्र-राज्य वतिलीय संबंघुँ का संवधिान द्वारा संचालनः

संवधिानकि प्रावधानः

- भारतीय संवधिान ने करुँ के वतितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और ऋण लेने की शक्ति से संबंघति वसितुत प्रावधान कयि हैं, जो राज्युँ कु संघ द्वारा सहायता अनुदान के प्रावधानुँ के पूरक हैं।
- भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्युँ के बीच वतिलीय संबंघुँ से संबंघति प्रावधान हैं।
- कर लगाने की शक्तयिँः संवधिान केंद्र और राज्युँ के मध्य कर शक्तयिँ कु नमिनानुसार वभिजति करता हैः

- संसद को **संघ सूची** में शामिल वषियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है, राज्य वधायिका को राज्य सूची में शामिल वषियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है।
- दोनों **समवर्ती सूची** में उल्लिखित वषियों पर कर लगा सकते हैं, जबकि करधान की **अवशष्ट शक्ति केवल संसद के पास** है।
- **कर राजस्व का वतरण:**
 - **अनुच्छेद 268:**
 - यह संघ द्वारा आरोपित कर के लिये प्रावधान करता है, **लेकनि राज्यों द्वारा एकत्र और वनियोजित** कथिा जाता है।
 - इसमें **बलि ऑफ एक्सचेंज, चेक आदि पर स्टांप शुल्क** शामिल है।
 - **अनुच्छेद 269:**
 - इसमें **संघ द्वारा लगाए गए और साथ ही एकत्र कथिे गए लेकनि राज्यों को सौंपे** गए कर शामिल हैं।
 - इनमें **अंतरराज्यीय व्यापार या वाणजिय के दौरान वस्तुओं** की बकिरी और खरीद पर कर या **अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणजिय के दौरान वस्तु** की खेप पर कर शामिल हैं।
 - **अनुच्छेद 269-A:**
 - यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणजिय के दौरान **वस्तु और सेवा कर (GST)** के करारोपण एवं संग्रह का प्रावधान करता है।
 - ऐसे व्यापार के दौरान आपूर्ति पर GST को **केंद्र द्वारा आरोपित और संगृहीत** कथिा जाता है।
 - लेकनि यह कर **केंद्र और राज्यों के मध्य** GST परषिद की सफिरशियों पर संसद द्वारा नरिधारित नयिम के अनुसार से वतिरति कथिा जाता है।
 - **अनुच्छेद 270:**
 - इसमें **संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र कथिे गए कर शामिल हैं लेकनि ये कर संघ और राज्यों के बीच वतिरति कथिे जाते हैं।**
 - इसमें नमिनलखिति को छोड़कर संघ सूची में नरिदषिट सभी कर और शुल्क शामिल हैं:
 - अनुच्छेद 268, 269 और 269-ए में उल्लिखित शुल्क और कर।
 - अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधभार (यह वषिय रूप से केंद्र को जाता है)।
 - वषिषिट प्रयोजनों के लिये लगाया जाने वाला कोई उपकर।
- **सहायता अनुदान:** केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे के अतरिकित संवधान केंद्रीय संसाधनों से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं:
 - **सांवधिक अनुदान (अनुच्छेद 275):** यह अनुदान **संसद द्वारा भारत की संचति नधिसे** उन राज्यों को दथिा जाता है जनिहें सहायता की आवशयकता होती है। वभिन्न राज्यों को अलग-अलग राशयिों दी जा सकती हैं।
 - **वविकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282):** यह केंद्र और राज्यों दोनों को कसिी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबधति वधियी कषमता के भीतर न हो।
 - इस प्रावधान के तहत केंद्र, राज्यों को अनुदान देता है। इन अनुदानों को वविकाधीन अनुदान के रूप में जाना जाता है, इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिये बाध्य नहीं है और यह वषिय उसके वविकाधीन होता है।
 - **इन अनुदानों का दोहरा उद्देश्य है:** योजना लकष्यों को पूरा करने के लिये राज्य को वत्तीय रूप से मदद करना और केंद्र के लाभ के लिये राष्ट्रीय योजना को लागू करने हेतु राज्य की काररवाई को प्रभावति करना तथा राज्य के साथ समन्वय स्थापति करना।

स्रोत: द हदि